

विभागीय वेबसाइट पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना:— आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना:—आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है। साथ ही उनकी वैवाहिक स्थिति में विधवा/तलाकशुदा/ परित्यक्ता अंकित होना चाहिए।

मुख्यमंत्री लघु सीमान्त वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन योजना:— आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:— आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:— आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:— आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है। साथ ही उनकी वैवाहिक स्थिति में विधवा/तलाकशुदा/ परित्यक्ता अंकित होना चाहिए।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना:— आवेदक स्वयं के जनआधार आईडी के द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करते समय जनआधार पर आवेदक का आधार नम्बर, बैंक विवरण एवं परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय अंकित होना आवश्यक है।